

I/285169/2023

संख्या-3683/81-2-2022-800(144)/2019

प्रेषक,

नीता चौधरी,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 फरवरी 2023

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन०एच०-80) किमी० 05 दांयी पटरी खसरा संख्या-30 ग्राम दौलताबाद तहसील कोल जनपद अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2054/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 16.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र दिनांक 16.12.2022 में संलग्न अभिलेखों के अनुसार तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अलीगढ़ को भी दोषी बताया गया है, किन्तु इनके विरुद्ध कार्यवाही कर कोई प्रस्ताव शासन को नहीं उपलब्ध कराया गया है ?

कृपया उपरोक्तानुसार स्थित स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

Date: 06-03-2023 17:17:19

Reason: (नीता चौधरी)

उप सचिव।